पत्रांक- 11/प्र0-05-198/13 5008 अनु /पटना,दिनांक- 10-12-13

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषयः-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के अधीन शीर्ष 4515 नाबार्ड योजनान्तर्गत ग्राम अलपा एवं ग्राम बंगाली बिगहा प्रखंड हसपुरा के बीच नाला पर पुल निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक 1273 अनु0 दिनांक 03.12.13

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्राक्कलन को जाँचोपरान्त कुल रूपये 2,30,35,000.00 (दो करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के लिये विस्तृत प्राक्कलन की प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है।

2. बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2209 दिनांक 27.11.13 के द्वारा राशि 230.3550 (दो करोड़ तीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ) का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।

3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी गणीतीय जाँच कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।

4. समर्पित किए गए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बन्धि सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है।

5. अधीक्षण अभियंता, पुलों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह के 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।

7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल औरंगाबाद ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, के दर को अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की सिर्फ गणीतीय गणना की गयी है।

अनु0-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-1

ज्ञापांक : 1365 औरंगाबाद/दिनांक 17.12.13

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन संलग्न की जाती है।

अनु: यथोक्त।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद

परियोजना का नाम : ग्रामीण [illegible] एवं ग्राम बंगाली बिगहा प्रखंड [illegible]
4515 नाबार्ड योजनान्तर्गत ग्राम अलपा एवं ग्राम बंगाली बिगहा प्रखंड के बीच नाला पर पुल निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः- बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2209 दिनांक 27.11.13 के द्वारा राशि 2,30,35,500.00 (दो करोड़ तीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ) का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।

तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः-मुख्य अभियंता-1 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांकः- दिनांक- के द्वारा रूपय 2,30,35,000.00 (दो करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र हेतु।

1. तकनीकी स्वीकृति की राशि 2,30,35,000.00 (दो करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र रूपये की गई है। योजना के कार्यान्वियन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
4. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, औरंगाबाद की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में अर्न्तविष्टि मद मात्रा प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरुप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए क्योंकि कार्यपालक अभियंता के प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन, आकार-प्रकार (Water ways) की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता होगी।
5. औपबंधिक स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः-
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
6. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
7. पुल की लम्बाई 5X8.02 मी0 का निर्माण कार्य।
8. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ी काट एवं लम्ब काट के आधार किया गया है एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
9. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विषिश्टियों के अनुरूप किया जाये।
10. स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में एम0ओ0एस0टी0 भारत सरकार के विषिष्टियों का अनुसरण किया जाये।
11. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही क्रस्ट कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
12. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक होने पर बिना पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
13. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
14. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, क्षोत से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।

CS CamScanner

15. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
16. किसी भी परिस्थिति में मूल प्राक्कलन को खंडित नहीं किया जायेगा।
17. कार्य कितने ग्रुप में होगा, इसका अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
18. प्राक्कलन के अनुसार पथ की ऊंचाई कम न हो सके इसकी जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता की होगी।
19. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी तरह से विभागीय नियमों का उल्लंघन न हो।
20. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
21. प्राक्कलन की विशिष्टियों में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
22. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
23. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आवस्त हो ले कि एच0एफ0एल0 से कम नहीं हो।
24. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण-नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
25. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-औरंगाबाद ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर विश्लेशण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन कर SOR तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
26. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
27. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
28. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एम0ओ0एस0टी0 के अनुरूप हो।
29. यंत्र-संयत्र की जॉच कार्यपालक अभियंता, स्वय कर प्रमाण पत्र देंगे।
30. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेशण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
32. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।